

## मण्डल सैम, मण्डल कार्यालय, झाँसी

झलकारी बाई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कानपुर रोड, झाँसी उ.प्र. - 284001, फोन नं. : 0510- 2321461, ईमेल: [cs8252@pnb.co.in](mailto:cs8252@pnb.co.in).

नीलामी सन्दर्भ सं.: ई-नीलामी / ई-विक्रय / 2025-26 / तिमाही -04 / सं. 03

दिनांक 11.03.2026

### अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI) के सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) अंतर्गत बैंक के द्वारा बंधक बनाई गई घल / अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-विक्रय नोटिस दिया जाता है। नीचे वर्णित चूककर्ताओं ने पंजाब नैशनल बैंक से ऋण लिया था तथा इस ऋण की राशि चुकाने में विफल रहे। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना जारी की गई थी और उसके बाद बंधक सम्पत्तियों का रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है, और नीचे वर्णित सम्पत्तियों को उस तारीख को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित, "जहां है, जैसा है"; "जैसा है वैसा है"; "।", और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है, जो बैंक / प्रतिभूति लेनदार के कारण, अपने बकायों की वसूली के लिए (सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत विक्री का निर्णय लिया है।) आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) संबंधित सम्पत्तियों के विरुद्ध विवरण का नीचे दी गई तालिका के अनुरूप होगी।

### विक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

| क्र. सं. | शाखा का नाम<br>खाता का विवरण<br>उधारकर्ता / जमानतकर्ता /<br>खाता का नाम एवं पता                                                | अचल सम्पत्ति का विवरण<br>बंधक / सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति / यां<br>(परिसम्पत्ति से सम्बंधित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अ/सरफेसी नियम 2002 की धारा<br>13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि<br>ब/एनपीए तिथि को देय<br>बकाया राशि<br>स/सरफेसी नियम 2002 की धारा<br>13(4) के तहत कब्जे की तिथि<br>द/कब्जा का प्रकार-रचनात्मक<br>/सांकेतिक / भौतिक कब्जा | अ/आरक्षित मूल्य<br>(लाख में)<br>ब/अग्रिम राशि जमा<br>(ईएमडी) / राशि जमा<br>करने की समय<br>सीमा<br>स/ वृद्धिशील<br>बिड धनराशि | ई-नीलामी<br>की तिथि<br>व<br>समय                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1        | शाखा-एट, जालौन<br>उधारकर्ता-मैसर्स श्री<br>बालाजी ट्रेडिंग<br>कंपनी (प्रोप- श्री अरविंद<br>कुमार गुप्ता पुत्र श्री<br>सियाराम) | आवासीय मकान संपत्ति स्थित कस्बा कोटरा मकान नंबर 363, कोटरा,<br>उरई, जिला जालौन, उ.प्र. माप क्षेत्र 1355.85 वर्ग फुट।<br>(श्री भगवान दास एवं श्री सियाराम पुत्र श्री रामनाथ के नाम पर है)<br>चौहददी - साइट के अनुसार: पूर्व- श्री रमेश साहू पुत्र स्व.<br>रामदास का मकान, पश्चिम-मार्ग उत्तर-श्री हल्के सिंह का मकान<br>दक्षिण-मार्ग।                                                                                          | अ) 27.02.2023<br>ब) रु. 11,32,398.86<br>+ब्याज एवं अन्य खर्च<br>दि 01.02.2023 से प्रभावी<br>स) 19.01.2024<br>द) सांकेतिक कब्जा*                                                                                         | अ) रु. 19.00 लाख<br>ब) रु. 1.90 लाख<br>27.03.2026<br>स) रु. 0.10 लाख                                                         | 27.03.2026<br>पूर्वाह्न 11.00<br>बजे से<br>अपराह्न 4.00<br>बजे तक |
| 2        | शाखा-टहरीली<br>उधारकर्ता-मुख्तार अहमद<br>एवं<br>सपाहर अहमद<br>(जमानतकर्ता)                                                     | परिसम्पत्ति से सभी संबंधित भाग व एवं हिस्सों सहित- आवासीय एक<br>मंजिला मकान सम्पत्ति स्थित आरजी नं 932 का जुग भाग,<br>मौजा-पिछोरा, तहसील एवं जिला- झांसी उ०प्र०<br>, क्षेत्रफल- 55.76 वर्ग मीटर।<br>(जोकि सपाहर अहमद पुत्र मुख्तार अहमद के नाम पर है)<br>चौहददी - पूर्व-वर्मा जी का मकान, पश्चिम-रास्ता 4.57 मीटर,<br>उत्तर-शांति देवी का मकान, दक्षिण-जुबेर खान का मकान                                                      | अ) 03.08.2023<br>ब) रु. 6,64,578.12<br>+ब्याज दि. 01.08.2023<br>से प्रभावी एवं अन्य खर्च<br>स) 28-12-2023<br>द) सांकेतिक कब्जा*                                                                                         | अ) रु. 22.00 लाख<br>ब) रु. 2.20 लाख<br>27.03.2026<br>स) रु. 0.10 लाख                                                         | 27.03.2026<br>पूर्वाह्न 11.00<br>बजे से<br>अपराह्न 4.00<br>बजे तक |
| 3        | शाखा- मेन मार्केट<br>ललितपुर<br>उधारकर्ता-श्री राम<br>भरोसे गौतम पुत्र श्री<br>हीराउ                                           | आवासीय संपत्ति क्षेत्र 631.02 वर्ग मीटर स्थित आरजी नं 2116 / 2एम<br>ग्राम- डोंगरकला जिला ललितपुर जोकि पंजीकृत विक्री विलेख संख्या<br>1190 दिनांक 31.03.1990 के अनुसार- श्री राम भरोसे गौतम पुत्र श्री<br>हिराउ के नाम पर है।<br>चौहददी: (इष्टतल डीड के अनुसार): पूर्व - श्री धनीराम की भूमि एवं<br>मकान, पश्चिम-श्री विनोद कुमार एवं श्री भागीरथ का मकान, उत्तर-श्री<br>राम भरोसे की खुली भूमि, दक्षिण-6.10 मीटर चौड़ा रास्ता | अ) 22.11.2022<br>ब) रु. 12,62,175.81<br>+ब्याज एवं अन्य खर्च<br>दि. 31.10.2022 से प्रभावी<br>स) 24.04.2023<br>द) सांकेतिक कब्जा*                                                                                        | अ) रु. 49.00 लाख<br>ब) रु. 4.90 लाख<br>27.03.2026<br>स) रु. 0.10 लाख                                                         | 27.03.2026<br>पूर्वाह्न 11.00<br>बजे से<br>अपराह्न 4.00<br>बजे तक |
| 4        | शाखा-झांसी शिवाजी<br>नगर (ई-आबीसी)<br>उधारकर्ता-श्री अरविन्द<br>कुमार कुशवाहा पुत्र श्री<br>धनी राम कुशवाहा।                   | सम्बंधित बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित 1848, दरोगा का बाग,<br>(पथौरिया) दतिया गेट के बाहर, झांसी (उ.प्र.) क्षेत्र 843.5 वर्गफीट<br>(सम्पत्ति मालिक / बंधककर्ता-श्री अरविन्द कुमार कुशवाहा पुत्र श्री धनी<br>राम कुशवाहा)।<br>चौहददी-उत्तर-ओमसेन का मकान, दक्षिण- श्री अशोक वर्मा का मकान,<br>पूर्व-श्री अरविन्द कुमार के मकान का भाग, पश्चिम-12फीट रोड।                                                                          | अ) 05.01.2019<br>ब) रु. 11,28,259 / - +<br>ब्याज एवं अन्य खर्च<br>स) 17.08.2021<br>द) सांकेतिक कब्जा*                                                                                                                   | अ) रु. 32.00 लाख<br>ब) रु. 3.20 लाख<br>27.03.2026<br>स) रु. 0.10 लाख                                                         | 27.03.2026<br>पूर्वाह्न 11.00<br>बजे से<br>अपराह्न 4.00<br>बजे तक |
| 5        | शाखा- बिजौली, झाँसी<br>ऋणी-मैसर्स नन्द पेपर<br>वर्क्स, साबेवार श्री उत्तम<br>कुमार मिश्रा एवं श्री पंकज<br>कुमार मिश्रा।       | एक मंजिला व्यवसायिक भवन माप 538 वर्ग मीटर स्थित प्लाट संख्या<br>H-28, UPSIDC, ग्रोथ सेंटर इंडस्ट्रियल एरिया बिजौली, झाँसी, उ.प्र.<br>(संपत्ति मालिक / बंधककर्ता पट्टेदार- श्री उत्तम कुमार मिश्रा एवं श्री<br>पंकज कुमार मिश्रा)।<br>चौहददी- (स्वामित्व विलेख के अनुसार)- पूर्व- 18 मी. चौड़ी सड़क,<br>पश्चिम- प्लाट H- 27, उत्तर-18 मी. चौड़ी सड़क, दक्षिण- प्लाट<br>H- 1                                                    | अ) 18.05.2011<br>ब) रु. 12,98,825.54 / - +<br>ब्याज एवं अन्य खर्च<br>स) 10.10.2012<br>द) सांकेतिक कब्जा*                                                                                                                | अ) रु. 23.00 लाख<br>ब) रु. 2.30 लाख<br>27.03.2026<br>स) रु. 0.10 लाख                                                         | 27.03.2026<br>पूर्वाह्न 11.00<br>बजे से<br>अपराह्न 4.00<br>बजे तक |

नियम एवं शर्तें - 1. विक्रय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम में वर्णित नियम एवं शर्तों एवं निम्न अन्य शर्तों के अनुसार होगा। 2. संपत्तियाँ "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर विक्रय की जा रही हैं। 3. इस अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 4. यह विक्री वेबसाइट <https://baanknet.com> पर 11.00 AM से 04.00 PM तक उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी में के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। 5. विस्तृत अवधि और विक्री की शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> देखें 6. सर्विस प्रदाता का हेल्प डेस्क नम्बर +918291220220 अथवा मुख्य प्रबंधक, मंडल कार्यालय: झाँसी मो. 9458278680, पर संपर्क करें। कृपया नोट करें: 1. प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण- कोई अधिभार ज्ञात नहीं। "सम्पत्ति का विक्रय सांकेतिक कब्जा जो "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है। भौतिक कब्जा ऋणी / प्रशासन द्वारा देने पर प्राप्त होगा।

2. यह नोटिस उधारकर्ताओं / जमानतकर्ताओं / बंधककर्ताओं को विक्री नोटिस भी है।

विक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(4) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

प्राधिकृत अधिकारी,  
पंजाब नैशनल बैंक,  
मण्डल कार्यालय झाँसी

दिनांक : 11.03.2026

स्थान: झाँसी